

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

100

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP39841902316406U  
 Certificate Issued Date : 12-Jul-2022 12:56 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14098804/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1409880471855202384838U  
 Purchased by : AMICHAND AND ARVIND VERMA  
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : AMICHAND AND ARVIND VERMA  
 Second Party : ARCHANA CHAUDHARY AND YUVRAJ SINGH  
 Stamp Duty Paid By : AMICHAND AND ARVIND VERMA  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line

IN-UP39841902316406U

*Archana*

*Amichand*

*Arvind Verma*

Sanction Alert

The authenticity of the e-stamp certificate should be verified at [www.chestamp.com](http://www.chestamp.com) or using e-Stamp Mobile App at <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chestamp> or [www.chestamp.com](https://www.chestamp.com) as available on the website. Mobile App version is available at [www.chestamp.com](https://www.chestamp.com). The details of the certificate can be verified on the website of the Competent Authority.



**—: विक्रय अनुबंध पत्र :-**

श्री अमी चंद पुत्र श्री रामलाल एवं श्री अरविंद वर्मा पुत्र श्री अमीचंद वर्मा निवासी—एस.एच.  
—171, शास्त्री नगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)।

—प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवम्

श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नी श्री मनोज चौधरी एवं श्री युवराज सिंह पुत्र श्री मनोज चौधरी  
निवासी—एस.एच.—8/2, शास्त्री नगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)।

—द्वितीय पक्ष (क्रेता)

विदित हो कि प्लॉट सं०—एस.एच.—171, शास्त्री नगर, गाजियाबाद जिसका क्षेत्रफल  
166.15 वर्ग मीटर है, जिस पर एक मजिला मकान बना हुआ है, के हम प्रथम पक्ष  
मालिक व काबिज हैं। उपरोक्त भवन को विक्रय करने का हमें पूर्ण अधिकार है। हम प्रथम  
पक्ष ने अपने उक्त भवन को विक्रय करने का अनुबंध द्वितीय पक्ष से अंकन रू०  
98,00,000/- (रुपये अठ्ठाने लाख मात्र) में हुआ है धनराशि का भुगतान द्वितीय पक्ष  
द्वारा तय की गई बैनामा कराने की अंतिम तिथि तक प्रथम पक्ष को अदा करके अपने नाम  
रजिस्ट्री कर लेगा।


निम्नलिखित शर्तों की पाबंदी दोनों पक्षकारों की रहेगी।

1. यह कि प्रथम पक्ष उक्त भवन का सम्पूर्ण कब्जा खाली व भौतिक रूप से द्वितीय पक्ष को बैनामे  
के दिन देना होगा।
2. यह कि उक्त भवन की रजिस्ट्री का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष अपने पास से वहन करेगा।

*Debas*

*Arbh*

*Jawar*



श्री अमी चंद पुत्र श्री रामलाल एवं श्री अरविंद वर्मा पुत्र श्री अमीचंद वर्मा निवासी—एस.एच.—171, शास्त्री नगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)।

श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नी श्री मनोज चौधरी एवं श्री युवराज सिंह पुत्र श्री मनोज चौधरी निवासी—एस.एच.—8/2, शास्त्री नगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)।

3. यह कि उक्त भवन पर रजिस्ट्री होने की तिथि तक किसी भी प्रकार का लोन, हाऊस टैक्स, बिजली के बिल, स्टाम्प रिकवरी, पी.एन.जी. गैस (यदि कनेक्शन है तो) या अन्य कोई भी देनदारी का भुगतान करने की जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष की होगी।

4. यह कि उपरोक्त विक्रय अनुबन्ध पत्र का बैनामा दिनांक ~~15/08/2022~~ <sup>31/08/2022</sup> तक को होना तय हुआ है।

अतः यह विक्रय करने का अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 12/07/2022 स्थान गाजियाबाद में हम दोनों पक्षकारान ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थित चित्त की दशा में खुद सोच समझ कर बिना किसी दबाव बहकाव के रूबरू हासिया गवाहान के समक्ष करा दिया जिससे कि सनद रहें और समय पर काम आवे इति।

*Acharya*  
*AM*  
12.7.22


(अमी चंद / अरविंद वर्मा)  
प्रथम पक्ष

*Acharya*  
*Yuvraj*

(अर्चना चौधरी / युवराज सिंह)  
द्वितीय पक्ष

गवाह:- 1

*Vineet Ajmani*  
S/o Raj Lal Ajmani  
ADD:- E-38, Cross Cascads  
Raj Nagar EXT  
GHAZIABAD



गवाह:- 2

*Salim Ahmad*  
S/o Akbar Ali  
A/o SH-239 Shastri  
Mogha S2B.

WITNESSED  
12/07/22  
MANOJ KUMAR  
Advocate & Notary  
Govt. of India